स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./01 | दिनांक : 01-01-2019

आदेश

राजस्थान विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष पद के चुनाव में मुझ जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी को दिनांक 19.12.2018 को पुनः निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है।

मैं **जितेन्द्र सिंह, अध्यक्ष,** राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के अनुच्छेद–7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत कर, विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी के गठन की घोषणा करता हूँ :–

–: संरक्षक :–

श्री सतीश कुमार पाराशर, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

–: परामर्श मण्डल :–

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, Sr. Jt.L.R
2. श्री हजारी राम ज्याणी, Jt.L.R
3. श्री सांवर मल पारीक, Jt.L.R.
4. श्री बालेन्द्र पाण्डेय, Jt.L.R
5. श्री प्रमोद कुमार कौशिक, Jt.L.R..
6. श्री हरीश कुमार शर्मा, D.L.R
7. श्री हरदयाल सिंह ढाका, D.L.R
8. श्री उमेन्द्र कुमार गोयल, D.L.R
9. श्री काशीराम, D.L.R
10. श्री उगमाराम, A..L.R
11. श्री सुब्रत सान्याल, A..L.R
12. श्री महेश चन्द यादव, A..L.R

01/01/2019

—: कार्यकारिणी :—

वरिष्ठ उपाध्यक्ष	— श्री प्रकाश गुप्ता, उप विधि परामर्शी
	— श्रीमती आशा शर्मा, उप विधि परामर्शी
उपाध्यक्ष	— श्री महेश गोयल, उप विधि परामर्शी
महासचिव	— श्री उत्तम सिंह, उप विधि परामर्शी
सचिव	— श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, उप विधि परामर्शी
संयुक्त सचिव	— सुश्री भारती शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी
कोषाध्यक्ष	— श्री विजय कुमार जैन, उप विधि परामर्शी
सह—कोषाध्यक्ष	— श्री सोमदत्त खाण्डपा, कनिष्ठ विधि अधिकारी
प्रवक्ता	— श्री सुनील मुवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी
सह प्रवक्ता	— सुश्री पूनम कुमारी गुप्ता, कनिष्ठ विधि अधिकारी
समन्वयक	— श्री हेमन्त सिंह, कनिष्ठ विधि अधिकारी

—: सदस्यगण :—

श्री हारून अली, उप विधि परामर्शी
श्री छैल बिहारी अग्रवाल, उप विधि परामर्शी
श्री दुर्गा प्रसाद जोनवाल, उप विधि परामर्शी
श्री मो0 जाहिद रशीद, सहायक विधि परामर्शी
श्री संदीप सोंठवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री विभात सींवर, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री वेद प्रकाश मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री अरूण सिंह धाकड, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री विकास अग्रवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री सुधीर कुमार वर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्रीमती रानू चौधरी. कनिष्ठ विधि अधिकारी
सुश्री शालिनी मित्रुका. कनिष्ठ विधि अधिकारी

01/01/2019

नोटः—कार्यकारिणी की बैठक के एजेण्डे को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित होने हेतु, विधि सेवा के किसी भी मा0 सदस्य को, **'विशेष आंमत्रित सदस्य'** के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।

विभिन्न समितियों एवं सम्**भागीय स्तर के पदाधिकारीगण की सूची शीघ्र ही पृथक से जारी की जावेगी।**

Sd.
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद्

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. शासन सचिव, महामहिम, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मा0 उप मुख्यमत्री महोदय राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, सचिव / संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक / प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर।
11. पंजीयन, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अध्यक्ष / महामंत्री, सचिवालय विधि रचना संघ / राजस्थान सचिवालय फोरम, जयपुर।
13. अध्यक्ष / महामंत्री, राजस्थान सचिवालय, सेवा अधिकारी संघ / सचिवालय निजी सचिव / अति0 निजी सचिव सेवा संघ / सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ / राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी संघ, अजमेर।
14. महासचिव, राजस्थान राज्य राजपत्रित अधिकारी सेवा महासंघ, जयपुर।
15. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. अध्यक्ष / महासचिव, राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ, जयपुर।
17. सम्पादक महोदय, राजस्थान पत्रिका / दैनिक भास्कर को प्रकाशनार्थ।
18. Etv Rajasthan/Zee News Rajasthan/First India को प्रसारणार्थ।
19. नोटिस बोर्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसियेशन / जिला बार एसोसियेशन, जयपुर।

01/01/2019
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

4/

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/4 दिनांक : 31.01.2019

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,

विधि एवं विधिक कार्य विभाग,

शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :– राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 में संशोधन करने के संबंध में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा का गठन वर्ष 1981 में हुआ था। अपने गठन के समय से ही राजस्थान विधि सेवा के अधिकारीगण राजकीय वादकरण तथा अन्य विधिक मामलों का पूरी निष्ठा से सफलतापूर्वक निष्पादन कर रहे हैं।

वर्तमान में विधि सेवा नियमों के तहत पदोन्नति हेतु अनुभव की अवधि निम्नानुसार है–

क्र.सं.	पदोन्नति पद	अनुभव
1.	कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी	5 वर्ष
2.	वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी	5 वर्ष
3.	सहायक विधि परामर्शी से उप विधि परामर्शी	3 वर्ष
4.	उप विधि परामर्शी से संयुक्त विधि परामर्शी	3 वर्ष का उप विधि परामर्शी के पद का अनुभव एवं 18 वर्ष की सेवा अवधि
5.	संयुक्त विधि परामर्शी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	25 वर्ष की राज्य सेवा

विधि सेवा में प्रविष्टि हेतु निर्धारित योग्यता विधि स्नातक होने के कारण समान्यतः 28 ये 35 वर्ष की आयु मे ही सेवा में प्रवेश हो पाता है और सेवा में आने के पश्चात् पदोन्नति में भी अत्यधिक समय लगता है। उदाहरण के लिये राजस्थान विधि सेवा में वर्ष 1994 एवं 1996 में सेवा में आये अधिकांश अधिकारीगण की पहली पदोन्नति में लगभग 15 से 18 वर्ष का समय लगा है। इसी प्रकार का द्वितीय पदोन्नति में भी अतिरिक्त समय लगता है।

विधि सेवा में प्रवेश का पद कनिष्ठ विधि अधिकारी का है, जो कि अधीनस्थ सेवा का पद है। कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद से प्रथम पदोन्नति वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद

31/01/2019

पर होती है, जो कि राज्य सेवा का पद है। विधि सेवा में वर्तमान में सहायक विधि परामर्शी एवं उप विधि परामर्शी के पदों पर पदासीन अधिकाशं अधिकारियों की प्रथम पदोन्नति लगभग 15 से 18 वर्ष में हुई है। उक्त अधिकांश अधिकारी लगभग 40 से 45 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरान्त ही राज्य सेवा में प्रविष्टि पा सके हैं। इस परिस्थिति में विधि सेवा के अधिकांश अधिकारीगण लगभग 15 से 20 वर्ष की ही राज्य सेवा कर सकेंगे।

चूंकि वर्तमान में संयुक्त विधि परामर्शी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम 25 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण होना आवश्यक है, जो कि अधिकांश अधिकारीगण सेवानिवृति तक भी पूर्ण नहीं कर सकते। 25 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण करने की शर्त पूरी नहीं होने के कारण अधिकांश अधिकारी उक्त पद पर पदोन्नति से वंचित हैं एवं इसी कारण वर्तमान में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के 11 पदों में से मात्र 5 पद ही भरे हुए हैं और 6 पद रिक्त हैं। वित्तीय वर्ष 1919 –1920 में भी केवल एक ही अधिकारी इस पद पर पदोन्नति के योग्य हैं,जो कि पदोन्नति पश्चात कुछ माह वाद ही सेवानिवृत हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य अधिकारी भी इस वर्ष सेवानिवृत हो जायेंगे। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 1919–1920 में रिक्तियों की संख्या और भी बढ़ेगी।

उक्त तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में निवेदन है कि राजस्थान विधि सेवा के सदस्यों का अधिकांश सेवाकाल आरम्भिक दोनों पदों पर अर्थात कनिष्ठ विधि अधिकारी एवं वरिष्ठ विधि अधिकारी के पदों पर ही पूरा हो जाता है और इससे उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु आयु एवं सेवाकाल बहुत कम शेष रहता है जिसके कारण अधिकांश अधिकारी संयुक्त विधि परामर्शी एवं वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पदों पर पदोन्नति का लाभ प्राप्त किए बिना ही सेवानिवृत हो जाते हैं।

राज्य सरकार की अधिकांश सेवाओं में उच्चतर पदों पर अनुभव की अवधि 3 वर्ष निर्धारित है तथा कुछ पदों पर पदोन्नति हेतु कोई न्यूनतम अनुभव अपेक्षित ही नहीं है। उल्लेखनीय है कि विधि सेवा के कनिष्ठतम पद कनिष्ठ विधि अधिकारी से लेकर वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी तक के पद के समस्त अधिकारियों पर एक ही सेवा नियम [राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981] लागू होते हैं और कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर ही सीधी भर्ती होती है तथा अन्य सभी पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हैं।

इस दृष्टि से विधि सेवा की तुलना राजस्थान सचिवालय सेवा से की जा सकती है, जिसमें कनिष्ठतम पद पर नियुक्ति के पश्चात् अन्य सभी पद 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हैं। सचिवालय सेवा नियमों में वरिष्ठतम पद वरिष्ठ शासन उप सचिव का है, जिसकी पदोन्नति हेतु कुल सेवा का 30 वर्ष का अनुभव निर्धारित है, लेकिन सचिवालय सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सीनीयर सैकण्डरी है जबकि विधि सेवा में कनिष्ठ विधि अधिकारी के रूप में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता विधि स्नातक है अर्थात् विधि सेवा में प्रवेश के लिए सामान्य स्नातक के साथ–साथ विधि स्नातक होने के लिए तीन वर्ष का अतिरिक्त समय लगता है। सामान्यतः विधि अधिकारियों की भर्ती भी नियमित अंतराल से नहीं होती है। इस कारण से विधि सेवा में प्रवेश भी लगभग 28 से 35 की वर्ष की उम्र में हो पाता है। चूंकि अब राज्य सरकार द्वारा सभी सेवाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 40 वर्ष कर दी है और 40 वर्ष की उम्र में सेवा में प्रवेश करने पर कुल सेवा अवधि 20 वर्ष ही बचती है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु 25 वर्ष की राज्य सेवा के अनुभव की शर्त पूर्ण होना संभव नहीं है। इसलिये **राज्य हित मे विधि सेवा**

31/01/2019

में वरिष्ठतम पद पर पदोन्नति हेतु राज्य सेवा में 25 वर्ष के अनुभव के स्थान पर कुल सेवा का 27 वर्ष का अनुभव निर्धारित करने हेतु नियमों में संशोधन कराया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति को देखते हुए विधि सेवा में वरिष्ठतम पद पर पदोन्नति हेतु कुल सेवा का 27 वर्ष का अनुभव निर्धारित करने हेतु नियमों मे निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है:–

क्र.सं.	पदोन्नति पद	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
1.	कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी	5 वर्ष	यथावत
2.	वरिष्ठ विधि अधिकारी से सहायक विधि परामर्शी	5 वर्ष	यथावत
3.	सहायक विधि परामर्शी से उप विधि परामर्शी	3 वर्ष	यथावत
4.	उप विधि परामर्शी से संयुक्त विधि परामर्शी	3 वर्ष का उप विधि परामर्शी के पद का अनुभव एवं 18 वर्ष की सेवा अवधि	यथावत
5.	संयुक्त विधि परामर्शी से वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	25 वर्ष की राज्य सेवा	27 वर्ष की कुल सेवा अवधि

अतः विनम्र निवेदन है कि राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 में राज्य हित में उपरोक्तानुसार संशोधन करवाने की कृपा करें।

सादर ।

भवदीय

31/01/2019

अध्यक्ष

राजस्थान विधि सेवा परिषद

7

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./07 दिनांक : 12/02/2019

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :—वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त विधि परामर्शी के रिक्त पदों के विरूद्व पदस्थापन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान विधि सेवा संवर्ग में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त विधि परामर्शी के वर्तमान में अनेक पद रिक्त होने के कारण विभिन्न विभागों में राजकार्य प्रभावित हो रहा है।

अतः निवेदन है कि वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त विधि परामर्शी के रिक्त पदों पर विधि सेवा के अधिकारीगण को पद विरूद्व पदस्थापित कर उक्त पदों को भरने की कृपा करें, तांकि राज्य सरकार के समस्त विभागों में राजकार्य सुचारू रूप से संचालित होता रहे।

सादर।

12/02/2019
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष, राज0 विधि सेवा परिषद
एवं विधि सचिव, RASSO
O/C

क्रमांक — 8 14-2-19

ज्ञापन

प्रमुख शासन सचिव महोदय,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :— कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) के रिक्त पदों को भरने के लिए नवीन भर्ती प्रक्रिया हेतु RPSC अजमेर को संशोधित अभ्यर्थना भिजवाने एवं विज्ञप्ति जारी कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान में कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) के लगभग 255 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से कुल 84 पदों पर ही अधिकारी कार्यरत हैं। इस प्रकार वर्तमान में कनिष्ठ विधि अधिकारी के लगभग 171 पद रिक्त हैं। इतनी अधिक संख्या में विधि अधिकारियों के पद रिक्त रहने पर विभिन्न विभागों का विधिक/वादकरण सम्बन्धी कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना स्वभाविक है, जो कि राज्यहित में नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में 151 कनिष्ठ विधि अधिकारियों की भर्ती हेतु अभ्यर्थना लोक सेवा आयोग को भिजवायी जा चुकी है परन्तु अत्यन्त समय व्यतीत होने के पश्चात् भी अभी तक भर्ती हेतु विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लोक सभा चुनावों के कारण निकट भविष्य (सम्भावित मार्च का प्रथम सप्ताह) में आचार संहिता लागू हो सकती है। इस परिस्थिति में यदि मार्च के प्रथम सप्ताह से पूर्व ही लोक सेवा आयोग से उक्त रिक्तियों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है, तो भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता से प्रभावित हो सकता है और इस कारण से लगभग तीन माह का और विलम्ब संभावित है।

अतः निवेदन है कि कनिष्ठ विधि अधिकारियों के पदों की वर्तमान रिक्तियों के अनुसार लोक सेवा आयोग को संशोधित अभ्यर्थना शीघ्र ही भिजवाकर आचार संहिता से पूर्व ही भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करवाने की कृपा करें ताकि रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ हो सके।

सादर

भवदीय
14/2/2019
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

9/c

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

क्रमांक प.14( )RSMSSB / अर्थना / क वि अ / भर्ती / 2018 / 544 दिनांक 08.05.2018

संयुक्त शासन सचिव,
विधि एव विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय,
जयपुर।

विषय कनिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पदों को भरने बाबत।
संदर्भ आपके पत्र क्रमांक प.22(1)न्याय / 18 दिनांक 03.04.2018

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव सन्दर्भित पत्र के सबंध में निवेदन है कि आपने कनिष्ठ विधि अधिकारी के 156 रिक्त पदों की भर्ती के लिए अर्थना बोर्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की है। राजस्थान विधिक (राज्य एव अधीनस्थ) सेवा नियम-1981 के नियम 23 मे 20 अको के साक्षात्कार का प्रावधान दिया हुआ है। बोर्ड द्वारा अभी तक किसी भी पद पर भर्ती के लिये साक्षात्कार आयोजित नहीं किये गये है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त नियमों में साक्षात्कार का प्रावधान विलोपित कर सशोधित नियम भिजवाने का श्रम करें ताकि बोर्ड द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सके।

भवदीय,

(डॉ. बी.एल जाटावत)
अध्यक्ष

9

दि 15-2-19

ज्ञापन

मुख्य सचिव महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) के रिक्त पदों को भरने के लिए नवीन भर्ती प्रक्रिया हेतु RPSC अजमेर से विज्ञप्ति जारी कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान में कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) के अत्यधिक संख्या में पद रिक्त है। विधि अधिकारियों के पद रिक्त रहने पर विभिन्न विभागों का विधिक/वादकरण सम्बन्धी कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना स्वभाविक है, जो कि राज्यहित में नहीं है।

उल्लेखनीय है कि विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा 159 कनिष्ठ विधि अधिकारियों की भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग को निवेदन किया जा चुका है परन्तु अत्यन्त समय व्यतीत होने के पश्चात् भी अभी तक भर्ती हेतु विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। यदि लोक सभा चुनावों की आचार संहिता से पूर्व ही लोक सेवा आयोग से उक्त रिक्तियों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है तो भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता से प्रभावित हो सकता है और इस कारण से लगभग तीन माह का और विलम्ब संभावित है।

अतः निवेदन है कि कनिष्ठ विधि अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से शीघ्र ही विज्ञापन जारी करवाने की कृपा करें ताकि आचार संहिता से पूर्व भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सके।

सादर

भवदीय
15/2/2019
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

O/C

11

10 दि. 15-2-19

ज्ञापन

मा0 विधि मंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय :– कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) के रिक्त पदों को भरने के लिए नवीन भर्ती प्रक्रिया हेतु RPSC अजमेर से विज्ञप्ति जारी कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान में कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) के अत्यधिक संख्या में पद रिक्त है। विधि अधिकारियों के पद रिक्त रहने पर विभिन्न विभागों का विधिक/वादकरण सम्बन्धी कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना स्वभाविक है, जो कि राज्यहित में नहीं है।

उल्लेखनीय है कि विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा 159 कनिष्ठ विधि अधिकारियों की भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग को निवेदन किया जा चुका है परन्तु अत्यन्त समय व्यतीत होने के पश्चात् भी अभी तक भर्ती हेतु विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। यदि लोक सभा चुनावों की आचार संहिता से पूर्व ही लोक सेवा आयोग से उक्त रिक्तियों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं की जाती है तो भर्ती का विज्ञापन आचार संहिता से प्रभावित हो सकता है और इस कारण से लगभग तीन माह का और विलम्ब संभावित है।

पूर्व में कनिष्ठ विधि अधिकारियों की भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी हुआ था और भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2016 में पूर्ण हुई थी।

अतः निवेदन है कि कनिष्ठ विधि अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग से शीघ्र ही विज्ञापन जारी करवाने की कृपा करें ताकि आचार संहिता से पूर्व भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सके।

सादर

भवदीय
15/2/2019
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

12

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :– कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302649

क्रमांक : राज.वि.से.प./15 दिनांक : 05/4/2019

आदेश

मैं जितेन्द्र सिंह, राजस्थान विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष के रूप में विधि सेवा परिषद् के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित समितियों के गठन एवं उनके पदाधिकारियों के मनोनयन की घोषणा करता हूँ –

–: महिला प्रकोष्ठ :–

1.	श्रीमती आशा शर्मा, उप विधि परामर्शी	अध्यक्ष
2.	सुश्री भारती शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
3.	श्रीमती रानू चौधरी, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
4.	सुश्री पूनम कुमारी गुप्ता, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
5.	श्रीमती दिशा फौजदार, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
6.	सुश्री शालिनी मित्रुका, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य

– : मुद्रण (परिचय पत्र आदि), प्रकाशन एवं बेवसाईट संधारण समिति :–

1.	श्री महेश यादव, सहायक विधि परामर्शी	अध्यक्ष
2.	श्री उगमाराम, सहायक विधि परामर्शी	सदस्य
3.	श्री संजय कुमार, सहायक विधि परामर्शी	सदस्य
4.	सुश्री भारती शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
5.	श्री सोमदत्त खाण्डपा, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
6.	श्री विभात सींवर, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
7.	श्री हेमन्त सिंह, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
8.	श्री सुनील मुवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य

05/4/2019

—: विदाई समारोह कार्यवाही समिति :—

1.	श्री विजय कुमार जैन, उप विधि परामर्शी	अध्यक्ष
2.	श्री सुखदेव सिंह, वरिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
3.	श्री विभात सींवर, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
4.	श्री हेमन्त सिंह, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
5.	श्री सोमदत्त खाण्डपा, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
6.	श्री सुनील मुवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
7.	श्री दिनेश चारण, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
8.	श्रीमती खुशबू चौबीसा, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
9.	श्री विकास अग्रवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
10.	श्रीमती शालिनी पाण्डेय, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
11.	श्रीमती सपना वर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
12.	श्री प्रिन्स जैमन, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य
13.	श्री नन्दकिशोर बाकोलिया, कनिष्ठ विधि अधिकारी	सदस्य

05/4/2019

05/4/2019

(जितेन्द्र सिंह)

अध्यक्ष

राज0 विधि सेवा परिषद्

O/C

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रेस एवं मीडिया, जयपुर।
2. नोटिस बोर्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।

05/4/2019

05/4/2019

अध्यक्ष

राज0 विधि सेवा परिषद्

O/C

ON POCO F1

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

मंत्रिमण्डल की आज्ञा

31/2019

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (राजकीय वादकरण) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांकः प. 12(8)राज/वाद/10 पार्ट दिनांक 01.04.2019 में अंकित राज्य की नवीन वादकरण नीति के निरूपण संबंधी प्रस्ताव को दिनांक 04 अप्रैल, 2019 को सरक्यूलेशन के माध्यम से स्वीकृत करते हुए, ज्ञापन के संलग्न तत्संबंधी **Rajasthan State Litigation Policy, 2018** के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

(डी0 बी0 गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

डी. 31/मं.मं./2019
जयपुर, दिनांक:09 अप्रैल, 2019

24-5-19

शासन संयुक्त सचिव
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय – विधि सेवा परिषद् द्वारा बनवाये गये विधि अधिकारियों के परिचय पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ – आपका पत्र क्रमांक प. 22 (7) न्याय/2017 दिनांक 02.08.2018 एवं परिषद् का पत्र क्रमांक राज.वि.से.प./76 दिनांक 30.08.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदन है कि विधि विभाग की स्वीकृति पश्चात विधि सेवा परिषद् द्वारा 125 विधि अधिकारीगण के परिचय पत्र बनवाये जा चुके है। बाद में परिचय पत्र बनवाने हेतु दिनांक 15.04.2019 तक कुल 50 आवेदन (संलग्न सूची क्रम सं0 126–175 तक) प्राप्त हुए हैं, जिनमे से 34 परिचय–पत्र बनवाये जा चुके हैं।

अतः सदस्यों से प्राप्त मूल 34 आवेदन एवं तैयार परिचय–पत्र, इस पत्र के साथ संलग्न कर निवेदन है कि परिचय पत्रों को नियमानुसार विधि विभाग के स्तर से जारी करवाने की कृपा करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

24/5/2019

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद।

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./17

दिनांक : 25.04.2019

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान विजय प्रसाद शर्मा, उप विधि परामर्शी अपनी राजकीय सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 30.04.2019 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

श्रीमान ब्रजबिहारी शर्मा, उप विधि परामर्शी अपनी राजकीय सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 31.12.2018 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो चुके हैं। अपरिहार्य कारण से उनका सेवानिवृति समारोह तत्समय आयोजित नहीं हो सका।

अतः उक्त अधिकारियों के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह दिनांक 30.04.2019 को अपरान्ह 3.00 से 4.00 बजे, कॉन्फ्रेन्स हॉल (मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय के पास) शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।

उक्त समारोह में सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

निवेदक

25/4/19

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

17

19

17.5.19

शासन संयुक्त सचिव
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय – विधि सेवा परिषद् द्वारा बनवाये गये विधि अधिकारियों के परिचय पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ – आपका पत्र क्रमांक प. 22 (7) न्याय/2017 दिनांक 02.08.2018 एवं परिषद् का पत्र क्रमांक राज.वि.से.प./15 दिनांक 24.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं परिषद् के संदर्भित पत्र की निरन्तरता में निवेदन है कि पूर्व में परिचय पत्र बनवाने हेतु प्राप्त 50 आवेदनों में से कुल 34 परिचय पत्र तैयार कर परिषद् के संदर्भित पत्र के साथ विधि विभाग को भिजवाये जा चुके हैं। पूर्व में प्रेषित की जा चुकी सूची के क्रम संख्या 160, 161 एवं 164 के परिचय पत्र तैयार हो चुके हैं।

अतः सदस्यों से प्राप्त मूल 03 आवेदन एवं तैयार परिचय–पत्र, इस पत्र के साथ संलग्न कर निवेदन है कि परिचय पत्रों को नियमानुसार विधि विभाग के स्तर से जारी करवाने की कृपा करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

17/5/2019

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद।

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 20

दिनांक : 24.05.2019

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान महेश कुमार शर्मा, उप विधि परामर्शी अपनी राजकीय सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 31.05.2019 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

अतः उक्त अधिकारी के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह दिनांक 31.05.2019 को अपरान्ह 2:00 से 3:00 बजे, कॉन्फ्रेन्स हॉल (मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय के पास) शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।

उक्त समारोह में सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

निवेदक

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

19

22

दि. 10.6.19

शासन संयुक्त सचिव
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय – विधि सेवा परिषद् द्वारा बनवाये गये विधि अधिकारियों के परिचय पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ – आपका पत्र क्रमांक प. 22 (7) न्याय/2017 दिनांक 02.08.2018 एवं परिषद् के पत्र क्रमांक राज.वि.से.प./15 दिनांक 24.04.2019 व क्रमांक 19 दिनांक 17.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं परिषद् के संदर्भित पत्रों की निरन्तरता में निवेदन है कि पूर्व में परिचय पत्र बनवाने हेतु प्राप्त 50 आवेदनों में से कुल 37 परिचय पत्र तैयार कर परिषद् के संदर्भित पत्रों के साथ विधि विभाग को भिजवाये जा चुके हैं। पूर्व में प्रेषित की जा चुकी सूची के क्रम संख्या 151, 152 एवं 163 के परिचय पत्र तैयार हो चुके हैं।

अतः सदस्यों से प्राप्त मूल 03 आवेदन एवं तैयार परिचय-पत्र, इस पत्र के साथ संलग्न कर निवेदन है कि परिचय पत्रों को नियमानुसार विधि विभाग के स्तर से जारी करवाने की कृपा करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

10/6/2019

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद।

O/C

20

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./22

दिनांक : 22-07-2019

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की द्वितीय बैठक दिनांक 22.07.2019 को दोपहर 1:00 से 2:00 बजे तक शासन सचिवालय स्थित उनके कक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में परिषद के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र सिंह एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिए गये :–

1. राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सभी सदस्यों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु विधि विभाग को अभ्यावेदन पूर्व में ही प्रस्तुत कर दिया है। प्रमुख शासन सचिव महोदय से चर्चा करके प्रशिक्षण के सम्बंध में पुनः प्रयास किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. श्री नरेन्द्र श्याम नवल, उप विधि परामर्शी कलक्ट्रेट, पाली से दिनांक 31.07.2019 को सेवा निवृत हो रहें हैं। विधि सेवा परिषद् की तरफ से इनका सेवा निवृत समारोह दिनांक 31.07.2019 को पाली में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। पाली जाकर समारोह आयोजित करने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल को निर्देश दिये गये।
3. जिन सदस्यों ने चालू वर्ष का वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा नहीं करवाया है। उन सभी सदस्यों से वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. 500/– प्राप्त किये जाने की कार्यवाही की जावे।
4. विधि सेवा परिषद् की वेबसाईट विधि सेवा सदस्यों के लिये अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है। वेबसाईट के रखरखाव के संबंध में कॉन्ट्रेक्ट की 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने से एक माह पूर्व ही इसको पुनः 2 वर्ष आगे के लिये नवीनीकृत करने का निर्णय लिया गया।
5. वर्ष 2015 के पश्चात् विधि सेवा परिषद् के सदस्यों की स्मारिका का प्रकाशन नहीं हुआ है इसलिये सदस्यों की नवीन स्मारिका के प्रकाशन की तैयारी करने का निर्णय लिया गया। इस कार्य हेतु कमेटी का गठन अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।
6. परिषद् के अथक प्रयासों से सभी कलक्ट्रेट में उप विधि परामर्शी के पदों का सृजन करवाया जा चुका है। नवीन पदों के अस्तित्व में बने रहने के लिये यह आवश्यक है कि उन पदों पर शीघ्रातिशीघ्र किसी अधिकारी का पदस्थापन हो और उस पद पर

उसका वेतन आहरित हो। अभी हाल में आयोजित होने वाली विभागीय पदोन्नती समिति की बैठक के पश्चात् पदोन्नत होने वाले अधिकारियों द्वारा यदि नव सृजित पदों पर अपनी उपस्थिति देकर वेतन आहरित नहीं किया जाता है तो इन पदों के समाप्त होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। यह स्थिति विधि सेवा के लिये अत्यंत कष्टदायी साबित होगी क्योंकि सहायक विधि परामर्शीगण की शीघ्र पदोन्नती प्राप्त करने की संभावना समाप्त हो जायेगी। इसलिये सेवा के हित में समस्त सदस्यों से यह निवेदन करने का निर्णय लिया गया कि पदोन्नती प्राप्त करने वाले जिन उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शीगण का पदस्थापन कलेक्ट्रेट में नवसृजित प्रद पर होता है वह उस पद पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लें ताकि बड़े स्तर पर नवसृजित पदों को समाप्त होने से बचाया जा सके।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./24

दिनांक : 30-07-2019

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्री नरेन्द्र श्याम नवल, उप विधि परामर्शी कलक्ट्रेट, पाली अपनी राजकीय सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 31.07.2019 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

श्री नवल के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह सायः 5.00 से 6.00 बजे कलक्ट्रेट सभा भवन, पाली में आयोजित किया जा रहा है, समारोह के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही विधि सेवा परिषद् द्वारा गठित "विदाई समारोह कार्यवाही समिति" द्वारा की जायेगी।

सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

निवेदक

30/7/19

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

23

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./25

दिनांक : 30-07-2019

आम सूचना (संशोधित)

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्री नरेन्द्र श्याम नवल, उप विधि परामर्शी कलक्ट्रेट, पाली अपनी राजकीय सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 31.07.2019 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री नवल के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह दिनांक 31.07.2019 को सायः 8.00 बजे महेश्वरी भवन, नेहरू पार्क के पास, सोजत सिटी, पाली में आयोजित किया जा रहा है, समारोह के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही विधि सेवा परिषद् द्वारा गठित "विदाई समारोह कार्यवाही समिति" द्वारा की जायेगी।

सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

निवेदक

उत्तम 30/7/19

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

24

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./२६ दिनांक : 30.07.2019

श्रीमान शासन संयुक्त सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय— श्री जितेन्द्र कुमार जोशी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, नगर परिषद् प्रतापगढ़, द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 29.07.2019 के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री जितेन्द्र कुमार जोशी प्रथम नियुक्ति से आज तक कार्यालय नगर परिषद्, प्रतापगढ़ में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं एवं विधि अधिकारियों के लिये विधि विभाग द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन किया जा रहा है। विगत कुछ समय से आयुक्त, नगर परिषद्, प्रतापगढ़ द्वारा विधि अधिकारियों के लिये निर्धारित दायित्वों/कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य करने का दवाब बनाया गया है और ऐसा नहीं करने पर श्री जोशी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु विधि एवं विधिक कार्य विभाग को पत्र लिखा गया है।

अतः विधि सेवा अधिकारी पर उनके पदीय कर्तव्यों से भिन्न कार्य करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से नगर परिषद्, प्रतापगढ़ द्वारा लिखे गये पत्र पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। विधि विभाग की ओर से इस संबंध में आयुक्त, नगर परिषद्, प्रतापगढ़ को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें ताकि विधि सेवा के अधिकारी बिना किसी दबाव के अपने पदीय कर्तव्यों का सम्पादन कर सके।

संलग्न :— विधि अधिकारी से प्राप्त पत्र की प्रति।

Sd.
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपि :— श्री जितेन्द्र कुमार जोशी, कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय नगर परिषद्, प्रतापगढ़ को सूचनार्थ।

30/7/2019
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

सचिव महोदय, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को भी पत्र लिखा गया। श्रीमान् से आग्रह हे कि नगर परिषद् प्रतापगढ के आयुक्त महोदय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 6470–6473 दिनांक 24.07.2019 में वर्णित तथ्यों एवं भाषा शैली के प्रयोग से ही आप विनिश्चय कर सकते है कि किस स्तर की विचार धारा के साथ अपने पदीय कर्तव्यो, अधिकारो एवं शक्तियों का प्रयोग कर नगर परिषद् का कार्यालय चलाया जा रहा है । बिना किसी विधिक प्रकिया का पालन किये एवं अधिकार क्षेत्र से परे जाकर कार्य करने की प्रवृति पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की ईमानदार छवि को धूमिल करने एवं दबाने के उद्देश्य से परिपत्र के दिनांक 24.07.2019 पत्रांक 6470–6473 में मिथ्या आरोप लगाया गया है। जिनको साबित करने का भार परिषद के वर्तमान आयुक्त महोदय पर है अतः उच्च अधिकारीयो से भी यही निवेदन है कि प्रार्थी के विरूद्व की गई एकपक्षीय कार्यवाही के समर्थन में साक्ष्य सहित साबित करने हेतु आयुक्त महोदय को निदेशित किया जावे। यदि इसी प्रकार से किसी ईमानदार निष्ठावान कार्मिक पर मिथ्या आरोप लगाते हुए हटाने की कार्यवाही दुभावना पूर्वक कि जाती है तो इससे प्रत्येक ईमानदार कर्मठ कार्मिक का मनोबल कमजोर ही होगा। जिसका प्रतिकुल प्रभाव राज्य के हितो पर निशचित रूप से पड़ने की संभावना है।

कृपया आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावे। सादर धन्यवाद

<u>प्रतिलिपि :– सूचनार्थ</u>

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर ।
2. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर ।
3. श्रीमान् वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी महोदय, स्वायत शासन विभाग, जयपुर ।

दिनांक :- 29-07-19

भवनिष्ठ

जितेन्द्र कुमार जोशी (29.7.19)

जितेन्द्र कुमार जौशी
कनिष्ठ विधि अधिकारी
नगर परिषद् प्रतापगढ (राज)
मो.न. 9785084342

सेवामें,

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय,
राजस्थान विधि सेवा परिषद्
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

विषय :– मुझ प्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करवाये जाने बाबत्।

महोदय जी

सादर **प्रणाम**, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मुझ प्रार्थी का पद स्थापन विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश पत्रांक प.22(2)न्याय/2013 दिनांक 23.05.2016 के क्रम में कार्यालय नगर परिषद् प्रतापगढ में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रथम नियुक्ति से आज दिनांक तक पदीय कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी निष्ठा और निष्पक्षता के साथ किया जा रहा है। किन्तु विगत कुछ समय से आयुक्त महोदय, नगर परिषद् प्रतापगढ, द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पदीय कार्यो को किये जाने में अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है।

इसी क्रम में कार्यालय नगर परिष्द प्रतापगढ द्वारा आदेश पत्र क्रमांक न.प.प्र. /2019 /6331 –6333 दिनांक 17.07.2019 द्वारा प्रार्थी को विधि शाखा के अलावा विधान सभा प्रश्न सभी सुचनाएं एकत्रित कर समय पर प्रेषित करने हेतु एवं सूचना के अधिकार अधिनियम की सूचना सभी शाखा से प्राप्त कर समय पर प्रेषित करने हेतु आदेशित किया गया जिस क्रम में प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.07.2019 को उक्त कार्यालय आदेश में संशोधन कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र मय सभी महत्वपूर्ण परिपत्रो के साथ श्रीमान् आयुक्त महोदय को प्रस्तुत किया गया। जिस पर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की टिप्पणी अंकित नही करते हुए सशोधंन करने से इंन्कार कर दिया गया एवं तृतीय पक्षकार के जरीये मौखिक सूचित करवाया जा रहा है कि विधि शाखा से अलावा अन्य कार्य तो करना ही पड़ेगा अन्यथा 17 सीसी एवं एपीओ की कार्यवाही हेत तैयार रहे ।

इसी क्रम में परिषद के आयुक्त महोदय द्वारा विधि शाखा से अतिरिक्त कार्य करने का अनावश्यक दबाव बनाया गया एव मेरे विरूद्व कार्यवाही हेतु श्रीमान् प्रमुख शासन

राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ 26

दिनांक : 30/7/2019

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय–श्री जितेन्द्र कुमार जोशी, कनिष्ठ विधि अधिकारी नगर परिषद् प्रताप गढ़ द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 29.07.2019 के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री जितेन्द्र कुमार जोशी प्रथम नियुक्ति से आज तक कार्यालय नगर परिषद्, प्रतापगढ़ में कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं एवं विधि अधिकारियों के लिये विधि विभाग द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन किया जा रहा है। विगत कुछ समय से आयुक्त, नगर परिषद्, प्रतापगढ़ द्वारा विधि अधिकारियों के लिये निर्धारित दायित्वों/कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य करने का दवाब बनाया गया है और ऐसा नहीं करने पर श्री जोशी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विधि एवं विधिक कार्य विभाग को पत्र लिखा गया है।

अतः विधि सेवा अधिकारी पर उनके पदीय कर्तव्यों से भिन्न कार्य करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से नगर परिषद्, प्रतापगढ़ द्वारा लिखे गये पत्र पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। विधि विभाग की ओर से इस संबंध में आयुक्त, नगर परिषद्, प्रतापगढ़ को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें ताकि विधि सेवा के अधिकारी बिना किसी दबाव के अपने पदीय कर्तव्यों का सम्पादन कर सके।

संलग्न :– विधि अधिकारी से प्राप्त पत्र की प्रति।

30/7/2019
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

प्रतिलिपि :– श्री जितेन्द्र कुमार जोशी, कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय नगर परिषद्, प्रतापगढ़ को सूचनार्थ।

30/7/2019
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

28

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./ २७

दिनांक : 29.08.2019

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान **हजारी राम ज्याणी, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी** अपनी राजकीय सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 31.08.2019 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

अतः उक्त अधिकारी के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह दिनांक 30.08.2019 को अपरान्ह 2:30 से 3:30 बजे, कॉन्फ्रेन्स हॉल (मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय के पास) शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है।

उक्त समारोह में सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

निवेदक

29/8/19

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

२९

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./28 दिनांक : 30.8.2019

आभार

विधि सेवा परिषद के अथक प्रयास एवं विधि विभाग के विशेष सहयोग से विधि विभाग द्वारा दिनांक 30.08.2019 को एक परिपत्र जारी करते हुए विधि सेवा अधिकारियों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्वों को पुनः परिभाषित किया गया है। इससे सभी सदस्य लाभान्वित होंगे। इस कार्य के लिए विधि सेवा परिषद, प्रमुख शासन सचिव महोदय एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय का विशेष आभार प्रकट करती है।

30/8/19

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

30

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प. /२१

दिनांक : 04-09-2019

आम सूचना

विधि सेवा के सभी सम्मानीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि विभाग के स्तर पर वादकरण नीति 2018 जारी की गई है। सभी विधि अधिकारियों को नवीन वादकरण नीति की जानकारी होना आवश्यक है। इसलिये विधि सेवा के समस्त सदस्यों को नवीन वादकरण नीति की प्रति निःशुल्क वितरित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः समस्त विधि अधिकारीगण से अनुरोध है कि विधि विभाग के कमरा नं0 2003 (पुराना 40), मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में श्री हजारी लाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक (मो0 नं0 9351279077) से वादकरण नीति 2018 की प्रति व्यक्तिगत रूप से कार्यालय समय में सम्बन्धित रजिस्टर में हस्ताक्षर करके प्राप्त कर सकते हैं।

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

31

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/30

दिनांक : 18/9/2019

श्रीमान,

प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय :— राज्य वादकरण नीति, 2018 के विधि सेवा से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना कराये जाने के संबंध में।

मान्यवर,

राष्ट्रीय वादकरण नीति के अनुरूप, राजस्थान में नई राज्य वादकरण नीति, 2018 बनायी गयी है। उक्त वादकरण नीति के अध्याय तीन के बिन्दु संख्या 3.2 के अनुसार राज्य के समस्त विभागों द्वारा उक्त नीति का अनुसरण किया जाना आवश्यक है।

राज्य में बढते वादकरण पर प्रभावी नियंत्रण एवं उसके त्वरित निस्तारण हेतु वादकरण नीति के पॉचवे अध्याय में राज्य के समस्त विभागों में आवश्यक रूप से विधि प्रकोष्ठ की स्थापना किया जाना प्रावधानित किया गया है। उक्त संबंध में राज्य वादकरण नीति, 2018 के अध्याय पॉच में निम्नवत प्रावधान हैं :—

"5. LEGAL CELL

5.1 Administrative orders issued in day to day working are often challenged in Courts. To minimize such litigation, administrative orders need to be in conformity with the relevant Acts, Rules, Notifications and Judicial pronouncements. **To advise the Administrative Departments instantly, on law points, officers from Legal Service shall be deployed in every department. The State shall endeavor to strengthen the legal cells in all departments by providing adequate infrastructure and deploying adequate number of officers of**

18/9/2019

O/C

appropriate rank as per the need of the department, depending on the quantum and nature of the litigation.

5.2 **The officer of Legal Service not below the rank of Joint Legal Remembrancer shall be posted in the Administrative Department, where number of Court cases is more than 1000. A Legal Cell, if so requires, comprising officer of Legal Service of appropriate rank shall be established at District level** to ensure proper coordination between all the departments collectively and the Government Counsels. Moreover, another important function that these Legal Cells can also perform is to coordinate between different departments/ instrumentalities/concerned officers etc. for the litigation. Especially where different departments of districts or different districts authorities are impleaded in any matter, the Legal Cell can perform as a centralized coordination hub between Government Counsels and State instrumentalities, which will in turn result into speedy follow up and disposal of matters.

5.3 For speedy decision and effective monitoring of litigation, **the officers of Legal Service above the rank of Assistant Legal Remembrancer shall be directly subordinate to the Head of the department and Secretary of Administrative Department concerned.**

5.4 The legal cell shall be responsible for:- (i) providing instant advice on law points, in day to day administrative functions, as and when required; (ii) Monitoring litigation of the department concerned and providing aid to the Nodal Officer of the department including preparation of nitty-gritty of the case, brief notes relating to relevant laws, departmental rules and precedents/analogous of similar cases decided finally or pending before the courts.

5.5 **The Administrative Departments, where Legal Cells do not exist, will create so.**

5.6 **Necessary infrastructure and man power including Stenographer, IT/Software support etc. will be made available by the Administrative Department concerned to the Legal Cell for discharging their duties effectively.**

वादकरण नीति के ब्रिन्दु संख्या 5.1 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक विभाग में विधि अधिकारी का पदस्थापन आवश्यक है। बिन्दु संख्या 5.2 के अनुसार जिन विभागों में 1000 से अधिक न्यायिक प्रकरण लम्बित हैं, उनमें कम से कम संयुक्त विधि परामर्शी स्तर

18/9/2019

O/C

3

का विधि अधिकारी पदस्थापित होना आवश्यक है। अतः 1000 से अधिक न्यायिक प्रकरणों वाले समस्त विभागों में, जहाँ वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी के पद सृजित नहीं हैं, उनमें उक्त पद सृजित होना आवश्यक है। प्रत्येक विभाग में विधि प्रकोष्ठ की स्थापना एवं विधि अधिकारीगण को आवश्यक सुविधाएं/समुचित स्टाफ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि राज्य के समस्त विभागों द्वारा राजस्थान विधि सेवा के उपरोक्तानुसार नये पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव भेजे जाने, प्रत्येक विभाग में विधि प्रकोष्ठ की स्थापना करने, विधि सेवा के अधिकारीगण को आवश्यक सुविधाएं व समुचित स्टाफ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में राज्य वादकरण नीति, 2018 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने बाबत्, जरिये परिपत्र समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर्स को निर्देशित करने की कृपा करें।

सादर।

18/9/2019

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा
परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/32

दिनांक : 27-09-2019

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान चन्द्रवीर सिंह रत्नावत, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, अपनी राजकीय सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 30.09.2019 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

उक्त अधिकारी के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह दिनांक 30.09.2019 को अपरान्ह 2:30 से 3:30 बजे, कॉन्फ्रेन्स हॉल (मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय के पास) शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किया जाना था परन्तु श्री रत्नावत जी ने निजी कारणों से उक्त सेवानिवृति समारोह में सम्मिलित होने में असमर्थता व्यक्त की है।

अतः श्री रत्नावत जी के अनुरोध पर उक्त सेवानिवृति समारोह का आयोजन निरस्त किया जाता है।

27/09/2019
(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

दिनांक 01.01.2019 से 30.09.2019 तक परिषद् को कुल प्राप्त राशि

परिषद के सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क राशि का निम्नानुसार विवरणः–

(i) 81 सदस्यों द्वारा जमा की गयी राशि =500/–रूपये की राशि
81×500 = 40,500/–रूपये की राशि

(ii) 1 सदस्यों द्वारा जमा की गयी = 700/–रूपये की राशि
1×700 = 700/–रूपये की राशि

(iii) 1 सदस्यों द्वारा जमा की गयी = 800/–रूपये की राशि
1×800 = 800/–रूपये की राशि

(iv) 1 सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी
= 500/–रूपये की राशि
1×500 = 500/–रूपये की राशि

(v) 1 सदस्य द्वारा 1300 रुपये
1×1300 = 1300/–रूपये की राशि

अर्थात कुल प्राप्त राशि
40500+700+800+500+1300 = 43,800/–रूपये
उक्त कुल प्राप्त राशि में ही ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी राशि भी सम्मिलित है :–
एक सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी=500/–रूपये की राशि
1×500 = 500/–रूपये की राशि

अर्थात कुल ऑनलाईन प्राप्त राशि =500/–रूपये

अतः कुल नकद प्राप्त राशि
43800–500= 43,300 /–रूपये

* उक्त कुल नकद प्राप्त राशि मे परिषद् के आवश्यक खर्चे सम्मिलित नहीं है ।

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

राजस्थान विधि सेवा परिषद् जयपुर द्वारा दिनांक 01.01.2019 से दिनांक 30.09.2019 तक सदस्यों से परिषद् का सदस्यता शुल्क, सेवानिवृत समारोह और अन्य खर्चो से संबंधित राशि प्राप्त की गयी और उक्त प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि को समायोजित करने संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

दिनांक 01.01.2019 से 30.09.2019 तक की परिषद् को प्राप्त सदस्यता शुल्क राशि :—	दिनांक 01.01.2019 से 30.09.2019 तक नकद प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि :—
1. नकद प्राप्त राशि = 43,300/—रूपये 2. परिषद् के बैंक खाते से चेक द्वारा वेबसाईट के नवीनीकरण व अन्य खर्चो हेतु दिनांक 27.09.2019 को निकाली गई राशि = 20,000/—रूपये अर्थात उक्त कुल प्राप्त राशि दिनांक 30.09.2019 तक परिषद के रिकॉर्ड के अनुसार कुल राशि =43300+20000=63300/- रुपये। संलग्न :— दिनांक 01.01.2019 से 30.09.2019 तक अपडेट प्राप्त राशि की लिस्ट	1. दिनांक 01.01.2019 से 30.09.2019 तक राजस्थान विधि सेवा परिषद् के 3 सदस्यों के सेवानिवृत्त समारोह जयपुर में आयोजित हुए तथा 1 सदस्य का सेवानिवृत्त समारोह सोजत, जिला पाली में आयोजित हुआ अर्थात राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा उक्त समारोह में खर्च की गयी कुल राशि (संलग्न ए से डी खर्चो की सूची) = 31445/—रूपये 2. दिनांक 01.09.2019 को राजस्थान विधि सेवा परिषद् द्वारा माननीय प्रमुख शासन सचिव, विधि (श्री महावीर प्रसाद शर्मा) के झालाना ऑफिसर्स इन्स्टीट्यूट जयपुर में आयोजित सेवानिवृत्त समारोह में परिषद् के कोष से खर्च की गयी कुल राशि = 6339/—रूपये [परिषद् के सदस्यों से प्राप्त सहयोग राशि = 27500/—रूपये एवं कुल खर्चा = 33839/—रूपये अर्थात 33839—27500 =6339/—रूपये] 3. दिनांक 27.09.2019 को वेबसाईट के अपडेशन हेतु श्री अभिषेक जी को 3000/— रुपये नकद दिये। * अर्थात उक्त खर्चो की दिनांक 01.01.2019 से 30.09.2019 तक परिषद् के रिकार्ड के अनुसार कुल खर्चो की राशि कुल = 31445+6339+3000/—रूपये = 40784/—रूपये संलग्नः—खर्चो से संबंधित दिनांक 01.01.2019 से 30.09.2019 तक की लिस्ट

अतः उक्त नकद प्राप्त कुल राशि **63300/-** रूपये में से परिषद् के उपरोक्त वर्णित खर्चो की कुल राशि = 40784/—रूपये को समायोजित करके शेष राशि 63300—40784=22516/—रूपये परिषद् में जमा करवायी गयी।

नोटः— यदि परिषद् का कोई सदस्य उपरोक्त वर्णित सूचना की विस्तृत जानकारी लेना चाहे तो परिषद् के कार्यालय /कोषाध्यक्ष से व्यक्तिगत संपर्क कर प्राप्त कर सकता है ।

30/9/19

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालय :- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
7014347174, 9461302549

क्रमांक : राज.वि.से.प./32

दिनांक : 09/10/2019

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर

विषय :– राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 में प्रस्तावित संशोधन को दिनांक 01.04.2019 से लागू करने बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी पद पर पदोन्नति हेतु वर्तमान में प्रभावी 25 वर्ष के राज्य सेवा अनुभव के स्थान पर, राज्य एवं अधीनस्थ सेवा का कुल 28 वर्ष अनुभव किये जाने हेतु संशोधन विचाराधीन है। वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के कुल 11 पदों में से वर्तमान में 07 पद रिक्त हैं। अतः यदि प्रस्तावित संशोधन दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी किया जाता है, तो वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के उक्त समस्त रिक्त पद भरे जा सकेंगे एवं वर्तमान में संयुक्त विधि परामर्शी पद पर पदस्थापित ऐसे 03 अधिकारीगण, जो कि दिनांक 31.03.2020 से पूर्व ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें भी पदोन्नति का लाभ प्राप्त हो सकेगा। उक्त प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव अर्थात दिनांक 01.04.2019 से लागू करने से सेवा के किसी भी सदस्य के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

अतः विनम्र अनुरोध है कि उक्त विचाराधीन संशोधन को दिनांक 01.04.2019 से लागू कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें। राजस्थान विधि सेवा परिषद आपकी सदैव आभारी रहेगी।

सादर ।

भवदीय

09/10/2019

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष,
राजस्थान विधि सेवा परिषद

O/c

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 33

दिनांक : 21.10.2019

मीटिंग नोटिस

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा परिषद् के सदस्यो की आम सभा की बैठक दिनांक 23.10.2019 को दोपहर 1:30 से 2:30 बजे, कॉन्फ्रेन्स हॉल (मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय के पास) शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की जा रही है।

उक्त बैठक मे आय–व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने, विधि सेवा के अधिकारियो को पदोन्नति मे वर्ष 2002 से 2010 के मध्य चयनित वर्ष आवंटित न किये जाने के संबंध मे की गई कार्यवाही की प्रगति, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु नियमो मे संशोधन, सदस्यता शुल्क एवं संविधान के विभिन्न प्रावधानो पर विचार विमर्श किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं पर भी चर्चा की जा सकेगी।

अतः सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

निवेदक
21/10/2019
(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

54

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/34

दिनांक : 22.10.2019

संशोधित मीटिंग नोटिस

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 23.10.2019 को कॉन्फ्रेन्स हॉल (मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय के पास) शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित होने वाली विधि सेवा परिषद् के सदस्यों की आम सभा दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के स्थान पर **दोपहर 2:00 से 3:00 बजे** आयोजित की जावेगी।

निवेदक

22/10/19

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

Rajasthan Legal Service Council Jaipur

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/35

दिनांक : 24-10-2019

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जो सदस्य विधि सेवा परिषद् का सदस्यता शुल्क जमा कराना चाहते हैं, वह विधि सेवा परिषद् के शासन सचिवालय, जयपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 51088903206, IFSC Code-**SBIN0031031** में जमा की रसीद अथवा नकद राशि तीन दिवस में श्री विजय कुमार जैन, उप विधि परामर्शी (कोषाध्यक्ष)/श्री सोमदत्त खाण्डपा, कनिष्ठ विधि अधिकारी (सहायक कोषाध्यक्ष) के पास जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लें।

24/10/2019

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ 36

दिनांक : 25/10/2019

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जो सदस्य विधि सेवा परिषद् का सदस्यता शुल्क 500/– जमा कराना चाहते हैं, वह विधि सेवा परिषद् के शासन सचिवालय, जयपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 51088903206, **IFSC Code- SBIN0031031** में जमा की रसीद अथवा नकद राशि यथाशीघ्र श्री विजय कुमार जैन, उप विधि परामर्शी (कोषाध्यक्ष)/श्री सोमदत्त खाण्डपा, कनिष्ठ विधि अधिकारी (सहायक कोषाध्यक्ष) के पास जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लें।

(सुनील मुवाल)
प्रवक्ता
राजस्थान विधि सेवा परिषद

2

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/38

दिनांक : 04.11.2019

मीटिंग नोटिस

राजस्थान विधि सेवा परिषद् की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 06.11.2019 को दोपहर 1:30 से 2:30 बजे, परिषद कार्यालय, कमरा नं. 1007, विधि विभाग, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त बैठक में राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद पर चुनाव हेतु चुनाव अधिकारी की नियुक्ति एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जायेगा।

अतः कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होवें।

निवेदक

04.11.19

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

13

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/ ५०-५।

दिनांक : 06.11.2019

आदेश

राजस्थान विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 06.11.2019 में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के क्रम में राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के अनुच्छेद 9 में उल्लेखित प्रावधान के तहत राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव सम्पन्न कराने बाबत् एतद्द्वारा श्री काशीराम कुन्तल, उप विधि परामर्शी को निर्वाचन अधिकारी एवं श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया दिनांक 30 नवम्बर 2019 तक सम्पन्न की जावेगी, जिसका तिथिवार चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रकाशित किया जावेगा।

Sd.
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवापरिषद

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्री काशीराम कुन्तल, उप विधि परामर्शी, निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
2. श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।

06/11/2019
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/५०-५१

दिनांक : 06.11.2019

आदेश

राजस्थान विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 06.11.2019 में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के क्रम में राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के अनुच्छेद 9 में उल्लेखित प्रावधान के तहत राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव सम्पन्न कराने बाबत् एतद्द्वारा श्री काशीराम कुन्तल, उप विधि परामर्शी को निर्वाचन अधिकारी एवं श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

कार्यकारिणी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया दिनांक 30 नवम्बर 2019 तक सम्पन्न की जावेगी, जिसका तिथिवार चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रकाशित किया जावेगा।

06/11/2019
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवापरिषद

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्री काशीराम कुन्तल, उप विधि परामर्शी, निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
2. श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।

06/11/2019
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष

45

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

दिनांक : 13.11.2019

क्रमांक : राज.वि.से.प/42

आम सूचना

जैसा कि विधि सेवा के सभी सम्माननीय सदस्यों को विदित है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा नई वादकरण नीति 2018 जारी की गई है। उक्त वादकरण नीति की अनुपालना हेतु विधि विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 19.09.2019 को जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये सभी विभागों में विधि प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने एवं राजस्थान विधि सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी, उप विधि परामर्शी एवं अन्य पदों के पुनर्गठन/सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव औचित्य सहित भेजे जाने को निर्देशित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वादकरण नीति मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत राजकीय दस्तावेज है। इस सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल आज्ञा दिनांक 09.04.2019 को जारी की गई है। वादकरण नीति सभी विभागों पर बाध्यकारी है।

अतः सभी सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह नई वादकरण नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विधि विभाग द्वारा जारी परिपत्र की पालना में अपने-अपने विभागों की आवश्यकता के अनुरूप विधि सेवा के नवीन पदों के सृजन सम्बन्धी प्रस्ताव शीघ्र ही विधि विभाग को भिजवावे ताकि वादकरण नीति की पालना प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो सके।

13.11.19

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

<u>कार्यालय निर्वाचन अधिकारी विधि सेवा परिषद राजस्थान, जयपुर</u>

कमांक रा.वि.से.प./चुनाव अधिकारी/1/2019 दिनांक : 13.11.2019

सूचना

राजस्थान विधि सेवा परिषद के सभी सदस्यों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु अध्यक्ष, राजस्थान विधि सेवा परिषद के आदेश कमांक राज.वि.से.प./40–41 दिनांक 06/11/2019 के द्वारा मुझ श्री काशीराम को निर्वाचन अधिकारी एवं श्री हिमांशु शर्मा को सहायंक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर चुनाव सम्पन्न कराने का दायित्व सौंपा गया है।

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव दिनांक 28/11/2019 को कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके संबंध में चुनाव कार्यकम निम्न प्रकार है:–

1. नामांकन दिनांक 20/11/2019 को अपरान्ह 02.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक कमरा नं. 5232 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में प्रस्तुत कर सकेंगे।
2. नामांकन पत्र दिनांक 22/11/2019 को अपरान्ह 02.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक वापस लिये जा सकेंगे।
3. अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध नहीं होने की स्थिति में प्रत्यर्थियों की सूची दिनांक 25/11/2019 को प्रातः 11.00 बजे जारी की जायेगी।
4. चुनाव हेतु एक से अधिक अभ्यर्थी होने की स्थिति में सभी सम्भागों में चुनाव सम्पन्न होंगे, जिसके लिए सम्भागीय निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति दिनांक 25/11/2019 को प्रातः 11.00 बजे तक कर दी जायेगी।
5. चुनाव दिनांक 28/11/2019 को अपरान्ह 01.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक सम्पन्न कराये जायेंगे।
6. जयपुर सम्भाग में पदस्थापित विधि सेवा परिषद के सदस्य कमरा नं. 5232, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में उपस्थित होकर अपना मतदान कर सकते हैं।
7. अन्य किसी सम्भाग का विधि सेवा अधिकारी यदि चुनाव की दिनांक 28/11/2019 को अपरान्ह 01.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक जयपुर में होने की स्थिति में जयपुर सम्भाग के उपरोक्त मतदान केन्द्र पर भी अपना मतदान कर सकेगा, उसे शपथ पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर देना होगा कि उसने अन्य मतदान केन्द्र पर अपना मतदान नहीं किया है।
8. सम्भागीय स्तर पर चुनाव का स्थान सम्भागीय निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही घोषित किया जायेगा।
9. सम्भागीय निर्वाचन अधिकारी चुनाव सम्पन्न होने के तुरन्त पश्चात् वाट्सएप एवं दूरभाष द्वारा निर्वाचन अधिकारी को मतों की गणना का ब्यौरा देंगे एवं निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी सम्भागों के परिणामों की गणना के आधार पर निर्वाचित अध्यक्ष की घोषणा की जायेगी।
10. नामांकन पत्र पृष्ठ भाग पर उपलब्ध है।

काशीराम 13/11/2019
(काशीराम)
निर्वाचन अधिकारी
मो.– 9414303697

him 13.11.19
(हिमांशु शर्मा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी
मो.– 9214339172

विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु नामांकन प्रपत्र

नाम	:	जितेन्द्र सिंह
जन्म तिथि	:	15-08-1964
पदनाम	:	उप विधि परामर्शी
वर्तमान पदस्थान	:	विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
मोबाईल नं.	:	7014347174
ई–मेल	:	Sikarwarjsingh@gmail.com

शपथ

मैं जितेन्द्र सिंह राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद हेतु होने वाले चुनाव दिनांक 28/11/2019 हेतु नामांकन प्रस्तुत करता/~~करती~~ हूँ। मैं राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान की पालना करूंगा/करूंगी।

(हस्ताक्षर) 20/11/2019
प्रत्याशी के हस्ताक्षर

प्रस्तावक

नाम	:	सांवर मल पारीक
पदनाम	:	संयुक्त विधि परामर्शी
मो.नं.	:	9413237826
हस्ताक्षर	:	(हस्ताक्षर) 20-11-2019

अनुमोदक

नाम	:	सुरेश चन्द्र शर्मा
पदनाम	:	उप विधि परामर्शी
मो.नं.	:	9461305426
हस्ताक्षर	:	(हस्ताक्षर) 20.11.19

प्रमाणीकरण : वैध/~~अवैध~~

(हस्ताक्षर)
(काशीराम)
निर्वाचन अधिकारी

(हस्ताक्षर)
(हिमांशु शर्मा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर

क्रमांकः रा.वि.से.प. / चुनाव अधिकारी / 02 / 2019 दिनांक : 21.11.2019

सूचना

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20.11.2019 को सायं 05:00 बजे तक, श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी का एकमात्र नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। जांच उपरान्त उक्त नामांकन पत्र वैध पाया गया है।

(काशीराम)
निर्वाचन अधिकारी
मो.– 9414303697

(हिमांशु शर्मा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी
मो.– 9214339172

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर

क्रमांकः रा.वि.से.प./चुनाव अधिकारी/02/2019 दिनांक : 22.11.2019

सूचना

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20.11.2019 को सायं 05:00 बजे तक, श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी का एकमात्र नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। जांच उपरान्त उक्त नामांकन पत्र वैध पाया गया है।

काशीराम

(काशीराम)
निर्वाचन अधिकारी
मो.– 9414303697

him

(हिमांशु शर्मा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी
मो.– 9214339172

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान विधि सेवा परिषद, जयपुर

क्रमांकः रा.वि.से.प./चुनाव अधिकारी/03/2019 दिनांक : 22.11.2019

निर्वाचन प्रमाण–पत्र

राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 20.11.2019 को सायं 05:00 बजे तक श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी का एक मात्र नामांकन पत्र प्राप्त हुआ। श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी का नामांकन पत्र, जांचोपरान्त वैध पाया गया। राजस्थान विधि सेवा परिषद के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु एक मात्र नामांकन पत्र प्राप्त होने के कारण, अब मतदान की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है।

अतः श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी को राजस्थान विधि सेवा परिषद का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया जाता है।

काशीराम

(काशीराम)
निर्वाचन अधिकारी
मो.– 9414303697

him

(हिमांशु शर्मा)
सहायक निर्वाचन अधिकारी
मो.– 9214339172

राजस्थान विधि सेवा परिषद्

कार्यालय कमरा नं0 1007, मुख्य भवन,

शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांक : रा॰वि॰से॰परि॰/चु॰अ॰/04/2019 जयपुर, दिनांक : 22.11.2019

—:: प्रेस विज्ञप्ति ::—

राजस्थान विधि सेवा परिषद के वर्ष 2019—20 के चुनावों में श्री जितेन्द्र सिंह, उप विधि परामर्शी को अध्यक्ष पद हेतु निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाकर निर्वाचन प्रमाण—पत्र प्रदान किया गया।

परिषद के चुनाव अधिकारी श्री काशीराम, उप विधि परामर्शी एवं सहायक चुनाव अधिकारी श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने पर धन्यवाद ज्ञापित किया।

काशीराम 22/XI/2019
(काशीराम)
उप विधि परामर्शी एवं
निर्वाचन अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित है :—

1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. दैनिक भास्कर, जयपुर।
3. राजस्थान पत्रिका, जयपुर।

काशीराम
22/XI/2019

53

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/५५

दिनांक 28.11.2019

आम सूचना

विधि सेवा के सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि विधि सेवा के सम्माननीय अधिकारी श्रीमान नरेन्द्रनाथ शर्मा, संयुक्त विधि परामर्शी एवं श्रीमान प्रमोद कुमार कौशिक, संयुक्त विधि परामर्शी अपनी राजकीय सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए दिनांक 30.11.2019 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो रहे हैं।

उक्त अधिकारीगण के सम्मान में राजस्थान विधि सेवा परिषद द्वारा सेवानिवृति समारोह दिनांक 29.11.2019 को अपरान्ह 2:30 से 3:30 बजे, कॉन्फ्रेन्स हॉल (मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय के पास) शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित किया जाना था परन्तु उक्त दोनों अधिकारियों ने निजी कारणों से उक्त सेवानिवृति समारोह में सम्मिलित होने में असमर्थता व्यक्त की है।

अतः उक्त सेवानिवृति समारोह का आयोजन निरस्त किया जाता है।

28/11/2019

(उत्तम सिंह)
महासचिव
राजस्थान विधि सेवा परिषद्

स्थापना : 1982

राजस्थान विधि सेवा परिषद

कार्यालयः- कमरा नं. 1007, मुख्य भवन
शासन सचिवालय, जयपुर

जितेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
9461302549, 7014347174

क्रमांक : राज.वि.से.प/47

दिनांक : 06.12.2019

—:: आदेश ::—

राजस्थान विधि सेवा परिषद् के अध्यक्ष पद के चुनाव में मुझ जितेन्द्र सिंह को दिनांक 22.11.2019 को, वर्ष 2020 के लिए, निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है।

अतः मैं **जितेन्द्र सिंह, अध्यक्ष,** राजस्थान विधि सेवा परिषद के संविधान के अनुच्छेद–7 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत कर विधि सेवा परिषद की कार्यकारिणी के गठन की घोषणा करता हूँ :–

—: संरक्षक :—

श्री सतीश कुमार पाराशर, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

—: परामर्श मण्डल :—

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, Sr. Jt.L.R
2. श्री राजेन्द्र सिंह, Jt.L.R
3. श्री सांवर मल पारीक, Jt.L.R
4. श्री महेन्द्र बिडियासर, Jt.L.R
5. श्री हरीश कुमार शर्मा, Jt.L.R
6. श्री केदार नाथ, Jt.L.R
7. श्री हरदयाल सिंह ढाका, D.L.R
8. श्री उमेन्द्र कुमार गोयल, D.L.R
9. श्री सुनील कुमार राघव, D.L.R
10. श्री महेश कुमार गोयल, D..L.R
11. श्री गिरधारी लाल जाखड, DLR
12. श्री उगमाराम, A..L.R
13. श्री सुब्रत सान्याल, A..L.R
14. श्री महेश चन्द यादव, A..L.R
15. श्री संजय कुमार, A..L.R

06/12/2019

—: कार्यकारिणी :—

वरिष्ठ उपाध्यक्ष	– श्री प्रकाश गुप्ता, संयुक्त विधि परामर्शी
उपाध्यक्ष	– श्रीमती आशा शर्मा, उप विधि परामर्शी
महासचिव	– श्री उत्तम सिंह, उप विधि परामर्शी
सचिव	– श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, उप विधि परामर्शी
संयुक्त सचिव	– सुश्री भारती शर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी
कोषाध्यक्ष	– श्री विजय कुमार जैन, उप विधि परामर्शी
सह–कोषाध्यक्ष	– श्री सोमदत्त खाण्डपा, कनिष्ठ विधि अधिकारी
प्रवक्ता	– श्री सुनील मुवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी
समन्वयक	– श्री हेमन्त सिंह, कनिष्ठ विधि अधिकारी

—: सदस्यगण :—

श्री हारून अली, संयुक्त विधि परामर्शी
श्री छैल बिहारी अग्रवाल, उप विधि परामर्शी
श्री दुर्गा प्रसाद जोनवाल, उप विधि परामर्शी
श्री मो0 जाहिद रशीद, सहायक विधि परामर्शी
श्री सुखदेव सिंह, वरिष्ठ विधि अधिकारी
श्रीमती वंदना मीणा, वरिष्ठ विधि अधिकारी
श्रीमती रानू चौधरी. कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्रीमती दिशा फौजदार, कनिष्ठ विधि अधिकारी
सुश्री शालिनी मित्रुका. कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री विभात सींवर, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री संदीप सोंठवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री वेद प्रकाश मीणा, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री अरूण सिंह धाकड, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री मनोज कुमार, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री विनोद कुमार डाबी, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री विकास अग्रवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी
श्री सुधीर कुमार वर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी

06/12/2019

—: संभागीय पदाधिकारीगण :—

संभाग	उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	सचिव
जयपुर	श्री अशोक गुप्ता Jt.L.R.	श्री विराट कुमार JLO	श्री प्रिंस जैमन JLO
जोधपुर	श्री जगदीश कुमार सोनी, DLR	श्री कमलेश शर्मा JLO	श्री दिनेश सिंह चारण JLO
अजमेर	श्री कमल विश्नोई DLR	श्री महेश चन्द गौड ALR	श्री नन्दकिशोर बाकोलिया JLO
कोटा	श्रीमती सपना वर्मा JLO	श्री बालमुकुन्द मीणा (अति0 प्रभार) JLO	श्री बालमुकुन्द मीणा JLO
बीकानेर	श्री मनमोहन आचार्य ALR	श्री पवन चावला ALR	श्री पवन विश्नोई JLO
उदयपुर	श्री शंकर सिंह देवडा DLR	श्री राकेश कुमार ओझा DLR	श्रीमती खुशबु चौबीसा JLO
भरतपुर	श्री चन्द्रशेखर शर्मा DLR	श्रीमती शालिनी पाण्डेय JLO	श्री सत्यभान हाडा JLO

नोटः—कार्यकारिणी की बैठक के एजेण्डे को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित होने हेतु, विधि सेवा के किसी भी मा0 सदस्य को **'विशेष आंमत्रित सदस्य'** के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा।

06/12/2019

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद्

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. शासन सचिव, महामहिम, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, मा0 उप मुख्यमत्री महोदय राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।

7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. निजी सचिव, सचिव/संयुक्त शासन सचिव, विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक/ प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर।
12. पंजीयन, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. अध्यक्ष/महामंत्री, सचिवालय विधि रचना संघ/ राजस्थान सचिवालय फोरम, जयपुर।
14. अध्यक्ष/महामंत्री, राजस्थान सचिवालय, सेवा अधिकारी संघ/सचिवालय निजी सचिव/अति0 निजी सचिव सेवा संघ/ सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ/ राजस्थान लोक सेवा आयोग कर्मचारी संघ, अजमेर।
15. महासचिव, राजस्थान राज्य राजपत्रित अधिकारी सेवा महासंघ, जयपुर।
16. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. अध्यक्ष/महासचिव, राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ, जयपुर।
18. सम्पादक महोदय, राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर को प्रकाशनार्थ।
19. Etv Rajasthan/Zee News Rajasthan/First India को प्रसारणार्थ।
20. नोटिस बोर्ड, शासन सचिवालय, जयपुर।
21. अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसियेशन/जिला बार एसोसियेशन, जयपुर।

06/12/2019

(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राज0 विधि सेवा परिषद्

दिनांक 30.09.2019 से 31.12.2019 तक परिषद् को कुल प्राप्त राशि

परिषद के सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क राशि का निम्नानुसार विवरणः–

(i) 65 सदस्यों द्वारा जमा की गयी राशि =500/–रूपये की राशि
65×500 = 32500/–रूपये की राशि

(ii) 4 सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी
= 500/–रूपये की राशि
4×500 = 2000/–रूपये की राशि

अर्थात कुल प्राप्त राशि
32500+2000 = 34500/–रूपये
उक्त कुल प्राप्त राशि में ही ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी राशि भी सम्मिलित है :–

4 सदस्य द्वारा ऑनलाईन एस.बी.आई बैंक के परिषद् के खातें में जमा की गयी=500/–रूपये की राशि
4×500 = 2000/–रूपये की राशि

अर्थात कुल ऑनलाईन प्राप्त राशि =2000/–रूपये

अतः कुल नकद प्राप्त राशि
34500–2000= 32,500 /–रूपये

*** उक्त कुल नकद प्राप्त राशि मे परिषद् के आवश्यक खर्चे सम्मिलित नहीं है ।**

31/12/19.
(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष

राजस्थान विधि सेवा परिषद् जयपुर द्वारा दिनांक 30.09.2019 से दिनांक 31.12.2019 तक सदस्यों से परिषद् का सदस्यता शुल्क, सेवानिवृत समारोह और अन्य खर्चो से संबंधित राशि प्राप्त की गयी और उक्त प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि को समायोजित करने संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:–

दिनांक 30.09.2019 से 31.12.2019 तक की परिषद् को प्राप्त सदस्यता शुल्क राशि :–	दिनांक 30.09.2019 से 31.12.2019 तक नकद प्राप्त राशि में से परिषद् के आवश्यक खर्चो की राशि :–
1. नकद प्राप्त राशि = **32,500** /–रूपये 2. परिषद् के रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 01.01.2019 से 30.09.2019 तक शेष राशि =**22516** / –रूपये 3. **32,500 +22516=55016/- रुपये।** **संलग्न :–** दिनांक 30.09.2019 से 31.12.2019 तक अपडेट प्राप्त राशि की लिस्ट	1. दिनांक 23.10.2019 को आयोजित परिषद् आम सभा का सचिवालय कैंटीन मय सोढानी स्वीट्स से नाश्ता आदि का खर्चा =700+2100 = 2800 / –रुपये 2. दिनांक 29.11.2019 को 2 सेवानिवृत्त समारोह जयपुर में आयोजित श्री नरेन्द्र नाथ शर्मा, (संयुक्त विधि परामर्शी) एवं श्री प्रमोद कुमार कौशिक, (संयुक्त विधि परामर्शी) कुल राशि =2940 / –रुपये 3. दिनांक 30.09.2019 से वेबसाईट के अपडेशन हेतु दिनांक 25.10.2019 को श्री उत्तम जी ने 6000 / – रुपये नकद दिये अर्थात परिषद के कोष से कुल खर्च की गई राशि = 6000 / –रुपये 4. दिनांक 22.11.2019 को नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का सचिवालय कैंटीन का खर्चा = 3820 / –रुपये * अर्थात उक्त खर्चो की दिनांक 30.09.2019 से 31.12.2019 तक परिषद् के रिकार्ड के अनुसार कुल खर्चो की राशि **कुल=2800+2940+6000+3820 / –रूपये = 15560 / –रूपये** **संलग्नः**–खर्चो से संबंधित दिनांक 30.09.2019 से 31.12.2019 तक की लिस्ट

अतः उक्त नकद प्राप्त कुल राशि **55016**/-रूपये में से परिषद् के उपरोक्त वर्णित खर्चो की कुल राशि = 15560 / –रूपये को समायोजित करके शेष राशि **55016 – 15560 = 39456** / –रूपये परिषद् में जमा करवायी गयी।

नोटः– यदि परिषद् का कोई सदस्य उपरोक्त वर्णित सूचना की विस्तृत जानकारी लेना चाहे तो परिषद् के कार्यालय / कोषाध्यक्ष से व्यक्तिगत संपर्क कर प्राप्त कर सकता है ।

31/12/19
(जितेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

31/12/19
(विजय कुमार जैन)
कोषाध्यक्ष
राजस्थान विधि सेवा परिषद

31/12/19

31/12/19